

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-8930/ 2636

दिनांक : 01-10-19

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार ।

विषय : Diversion of 0.007 ha. of forest land for access to M/s Som Feed Store along Sirsa-Jamal-Nithrana road, km. 9.80, R/side, at Village Dhintania, under forest division and District Sirsa, Haryana.

Online Proposal No.FP/HR/Approach/39979/2019

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-8930/1810 दिनांक 22-8-2019 ।

उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है जिसमें इस कार्यालय के संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना हो चुकी है ।

2. प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयोक्त उद्देश्य हेतु 0.007 है० वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष/पौधा नहीं काटा जाएगा ।
- (iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 102542/- रुपये की राशि से Sukhchain Disty. RD 130-135 के दोनों ओर 100 पौधे लगा कर किया जाएगा ।
- (iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।
- (v) वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
- (vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन०पी०वी० की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन०पी०वी० की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी ।
- (vii) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे ।
- (viii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ।
- (ix) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।
- (x) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी ।
- (xi) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिह्नित की जाएंगी । प्रत्येक खम्भे पर क्रम संख्या, डी०जी०पी०एस० निर्देशांक तथा एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जाएगी ।
- (xii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।

- (xiii) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय-समय पर लगाई जा सकती है ।
- (xiv) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-42/2017-FC दिनांक 29-1-2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।
- (xv) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।
3. सरकार इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है । वन मण्डल अधिकारी इन शर्तों की पालना सुनिश्चित करेगा ।


 मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
 कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
 पंचकुला ।


प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, सिरसा ।
3. M/s Som Feed Store, Village Dhingrania, Distt. Sirsa.